

9/10/25

विक्रम उपाध्याय का नाम गौरी के पत्रों में बहुत स्थान करने का प्रयत्न किया गया था कि म्यापामु द्वारा जारी आदेशों के लिए धारा 110(1) को लागू किया जावे। आदेशों की प्रतियों के लिए उक्त का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं है। आदेशों की प्रतियों को प्रस्तुत जाकर आदेशों के लिए धारा 110(1) लागू किया जा रहा है तथा म्यापामु द्वारा जारी आदेशों के लिए धारा 110(1) को लागू किया जा रहा है। प्रमाण पुस्तक को नष्ट करने का प्रयत्न करने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं है।

...